आपराधिक विविध
माननीय न्यायमूर्ति पी एस पत्तर के समक्ष

हरियाणा राज्य - अपीलकर्ता
बनाम
रजिंदर नाथ – उत्तरदाता

आपराधिक विविध संख्या 1975 की 3859-M
14 नवंबर 1975

दंड प्रक्रिया संहिता (1973 का 2)-धारा 167(2) और 439(2)-अभियुक्त को धारा 167(2) के परंतुक (ए) के तहत जमानत पर रिहा किया गया- चालान दाखिल करने के बाद जमानत रद्द करने के लिए आवेदन-क्या सक्षम है।
अभिनिर्धारित किया गया कि यदि किसी व्यक्ति को 60 दिनों से अधिक समय तक हिरासत में रहने के कारण दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 167(2) के प्रावधान (ए) के तहत जमानत पर रिहा किया गया है और चालान दायर नहीं किया गया था, तो चालान दाखिल होने के बाद अभियोजन पक्ष को ऐसे आरोपी की जमानत को इस आधार पर रद्द करने के लिए आवेदन करने का अधिकार है कि मामले की योग्यता के आधार पर वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है। हालाँकि धारा 167(2) के प्रावधान के अनुसार, साठ दिनों की हिरासत के बाद एक आरोपी व्यक्ति को संहिता के अध्याय XXXIII के प्रावधानों के तहत जमानत पर रिहा किया जाना है, लेकिन यह मामले की योग्यता के आधार पर पारित आदेश नहीं है। इसलिए, इसका मतलब यह नहीं है कि चालान दाखिल होने के बाद आरोपी की जमानत रद्द नहीं की जा सकती, यदि वह अन्यथा योग्यता के आधार पर जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

(पैरा 11 और 12)

आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 439(2) के तहत आवेदन, प्रार्थना करते हुए कि श्री एन.एस. राव, सत्र न्यायाधीश, अंबाला द्वारा 4 सितंबर, 1975 को 1975 के जमानत आवेदन संख्या 194 में प्रतिवादी को दी गई जमानत रद्द कर दी जाए और वह कानून के अनुसार हिरासत में लिया जाये।

अपीलकर्ता की ओर से हरि नारायण मेहतानी, उप महाधिवक्ता, हरियाणा।
प्रतिवादी की ओर से एच. एल. सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता ए. के. गोयल एडवोकेट।

आदेश

(1) माननीय न्यायमूर्ति पी एस पत्तर - इस आदेश के द्वारा इन याचिकाओं में उत्तरदाताओं की जमानत रद्द करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 439(2) के तहत हरियाणा राज्य द्वारा दायर निम्नलिखित याचिकाओं पर निर्णय लिया जाएगा क्योंकि इनमें कानून के एक जैसे प्रश्न शामिल हैं: -

(1) Cr. Misc No. 3859-M/1975.....	हरियाणा राज्य बनाम रजिंदर नाथ
(2) Cr. Misc. No. 3860-M/1975....	हरियाणा राज्य बनाम पी जगन नाथ
(3) Cr. Misc. No. 3861-M/1975...	हरियाणा राज्य बनाम मोहिन्दर प्रकाश गुप्ता

(2) उपरोक्त क्रम संख्या (1) और (2) में उल्लिखित मामलों में उत्तरदाताओं के खिलाफ, भारत की रक्षा नियमों के नियम 33 के तहत 5 जुलाई, 1975 को पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी, और उत्तरदाताओं को उसी तारीख को गिरफ्तार किया गया था। . हालाँकि, तीसरे मामले राज्य बनाम मोहिंदर प्रकाश गुप्ता में, भारत रक्षा नियमों के नियम 33 के तहत मामला 7 जुलाई, 1975 को दर्ज किया गया था और आरोपियों को उसी तारीख को गिरफ्तार किया गया था।

(3) हरियाणा सरकार ने भारत रक्षा नियम, 1971 (इसके बाद नियम कहा जाएगा) के नियम 184 के खंड (बी) के तहत अधिसूचना जारी की, जिसमें नियम 33 निर्दिष्ट किया गया था और इसे 8 जुलाई, 1975 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। इन सभी तीन मामलों को 8 जुलाई, 1975 से पहले गिरफ्तार किया गया था। विद्वान सत्र न्यायाधीश, अंबाला ने राज्य बनाम राजिंदर नाथ (सुप्रा) के मामले में 4 सितंबर, 1975 के अपने आदेश में कहा कि चूंकि आरोपी को राज्य सरकार द्वारा 8 जुलाई, 1975 को उपर्युक्त अधिसूचना जारी करने के पहले गिरफ्तार किया गया था। वह जमानत पर रिहा होने का हकदार है और उसने आदेश दिया कि उसे 3000 रुपये की राशि का इलाक़ा मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए समान राशि में एक ज़मानत के साथ बांड प्रस्तुत करने

पर जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। उपरोक्त क्रम संख्या (2) और (3) में उल्लिखित अन्य दो मामलों में अभियुक्तों को जमानत पर रिहा करने के समान आदेश क्रमशः 30 अगस्त, 1975 और 5 सितंबर, 1975 को पारित किए गए थे। हरियाणा राज्य ने इन मामलों में अभियुक्तों को दी गई जमानत को रद्द करने के लिए ये याचिकाएं इस आरोप पर दायर कीं कि जिन तारीखों पर सत्र न्यायाधीश द्वारा जमानत देने के आदेश पारित किए गए थे, नियमों के नियम 184 के खंड (बी) के तहत अधिसूचना जारी की गई थी। पहले ही जारी किया जा चुका था और इसलिए, नियम 184 के प्रावधानों के अनुसार, आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता था और रिहाई के आदेश अवैध होने के कारण रद्द किए जा सकते थे और आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता था और हिरासत में लिया जा सकता था। इन याचिकाओं के नोटिस उत्तरदाताओं को जारी किए गए थे और उन्होंने इसका विरोध किया। चूंकि इन याचिकाओं में कानून के सामान्य प्रश्न शामिल हैं, इसलिए इन याचिकाओं का निर्णय इसी आदेश से होगा।

(4) राज्य के विद्वान वकील श्री एच.एन. मेहतानी ने तर्क दिया कि भारत की रक्षा नियमों के नियम 184 के प्रावधानों के अनुसार, उत्तरदाताओं को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है, और इसलिए, सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश अवैध हैं और उन्हें अलग रखा जा सकता है और उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है। ऊपर उल्लिखित इन मामलों के तथ्यों के संबंध में कोई विवाद नहीं है। जमानत देने के संबंध में कानून प्रक्रिया का विषय है और जमानत का आदेश आदेश पारित होने के समय प्रचलित कानून के अनुसार पारित किया जाना है। भारत की रक्षा नियमों का नियम 184 इस प्रकार है: -

"दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) में किसी भी बात के बावजूद, इन नियमों या इसके तहत दिए गए आदेशों के उल्लंघन का आरोपी या दोषी कोई भी व्यक्ति, यदि हिरासत में है, तो अपने स्वयं के बांड पर जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि-

(ए) अभियोजन पक्ष को ऐसी रिहाई के लिए आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया गया है, और

(बी) जहां इन नियमों या उनके तहत बनाए गए आदेशों का कोई ऐसा प्रावधान है जिसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है, न्यायालय संतुष्ट है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह इस तरह के उल्लंघन का दोषी नहीं है ।"

मौजूदा मामलों में सत्र न्यायाधीश ने भारत की रक्षा नियमों के नियम 184 के खंड (बी) के तहत अधिसूचना जारी होने के लंबे समय बाद इन मामलों में उत्तरदाताओं को जमानत देने के आदेश पारित किए। उन्होंने यह भी कोई निष्कर्ष नहीं दिया कि यह मानने के लिए उचित आधार थे कि वे नियमों के नियम 33 के उल्लंघन के दोषी नहीं हैं, इसलिए, सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेशों को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

धारा 439(2), आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत, उच्च न्यायालय के पास ऐसे आदेश को रद्द करने की पर्याप्त शक्ति है जो कानून के स्पष्ट प्रावधानों के खिलाफ है। यह धारा कहती है कि उच्च न्यायालय यह निर्देश दे सकता है कि इस अध्याय के तहत जमानत पर रिहा किए गए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है और उसे हिरासत में भेजा जा सकता है। नियमों का नियम 184 उन अभियुक्तों को जमानत देने के लिए एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित करता है जिन पर इन नियमों या उनके तहत बनाए गए आदेशों के उल्लंघन के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है। जब तक इस नियम 184 में निर्धारित शर्तें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक सत्र न्यायाधीश के पास आरोपी को जमानत देने के आदेश पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

(5) प्रतिवादियों के विद्वान वकील श्री एच.एल. सिब्बल ने तर्क दिया कि असाधारण हरियाणा सरकार के राजपत्र दिनांक 8 जुलाई, 1975 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 4026-3H-75/20497, दिनांक 8 जुलाई, 1975 को खंड (बी) के तहत जारी की गई थी। भारत की रक्षा नियम, 1971 का नियम 184, जिसमें भारत की रक्षा नियमों के नियम 33 को नियम 184 के प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट किया गया था, लेकिन भारत की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा (अधिनियम संख्या) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए। 32) 1971 में इंडी रक्षा नियम 1971 में संशोधन किया गया और यह निर्देशित किया गया कि, शब्दों के लिए। "भारत की रक्षा नियम", शब्द "भारत की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा नियम" प्रतिस्थापित किए जाएंगे। इसके बाद उन्होंने तर्क दिया कि 8 जुलाई 1975 की उपर्युक्त अधिसूचना में कोई बल नहीं है क्योंकि यह भारत की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा

नियम, 1971 के नियम 184 के खंड (बी) के तहत जारी नहीं किया गया था, और उक्त नियमों के नियम 184 के अनुरूप यह लागू नहीं होता है। इन मामलों पर लागू नहीं होता. नियम 184 के खंड (बी) के तहत अधिसूचना केंद्र सरकार द्वारा भी जारी की जा सकती है। बहस के दौरान, श्री एच. एन. मेहतानी। राज्य के वकील ने भारत की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा नियमों के नियम 184 के खंड (बी) के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी और 9 जुलाई 1975 को भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति पेश की। , 1971, जिसमें उक्त नियमों के नियम 33 को उक्त नियम के प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट किया गया था। केंद्र सरकार की इस अधिसूचना के मद्देनजर उत्तरदाताओं के वकील की दलील में कोई दम नहीं है और इसे खारिज किया जाता है।

(6) इसके अलावा, मैसर्स टीटागढ़ पेपर मिल्स लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य, (1), अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि कोई प्राधिकरण ऐसी कार्रवाई करता है जो उसकी क्षमता के भीतर है, तो इसे केवल इसलिए अमान्य नहीं माना जा सकता है, क्योंकि यह गलत प्रावधान के तहत किया गया है। यदि इसे किसी अन्य प्रावधान के तहत इसकी शक्ति के भीतर दिखाया जा सकता है। शक्ति के स्रोत का मात्र गलत विवरण किसी प्राधिकारी की कार्रवाई को अमान्य नहीं कर सकता, यदि वह अन्यथा उसकी शक्ति में हो। मौजूदा मामले में, यह निर्विवाद है कि हरियाणा सरकार को उक्त उद्देश्य के लिए किसी भी नियम को निर्दिष्ट करने के लिए भारत की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा नियम, 1971 के नियम 184 के खंड (बी) के तहत अधिसूचना जारी करने का अधिकार प्राप्त है। नियम 184. जैसा कि ऊपर बताया गया है, हरियाणा सरकार की अधिसूचना दिनांक 8 जुलाई, 1975 है। भारत की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना 1 जुलाई, 1975 को जारी की गई थी, जिसमें ये शब्द थे, "भारत की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा नियम, 1971" शब्दों को "भारत की रक्षा नियम, 1971" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि जब उपरोक्त अधिसूचना जारी की गई थी तब यह अधिसूचना हरियाणा सरकार की जानकारी में नहीं थी। हरियाणा सरकार के पास अधिसूचना जारी करने की शक्ति थी और केवल यह तथ्य कि उसमें नियमों का सही नाम नहीं बताया गया था, अधिसूचना अमान्य नहीं होगी। इसलिए, इस स्कोर पर भी, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील का तर्क खारिज हो जाता है।

(7) नियमों के नियम 184 के शुरुआती शब्द हैं कि "दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 में निहित किसी भी बात के बावजूद, कोई भी व्यक्ति....."। प्रतिवादियों के वकील ने दलील दी कि चूंकि इस नियम के लागू होने के बाद इसमें संशोधन नहीं किया गया है और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, 1 अप्रैल 1974 से प्रभावी हुई थी इसलिए, नई संहिता के प्रावधान इन याचिकाओं पर लागू नहीं होते हैं। यह विवाद भी सही नहीं है. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ने पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 को निरस्त कर दिया है, राज्य के विद्वान वकील श्री मेहतानी ने तर्क दिया कि सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 8 के आधार पर, इस नियम 184 को माना जाना चाहिए संशोधन किया गया है और शब्दों के स्थान पर, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 में किसी भी बात के होते हुए भी", शब्दों के स्थान पर, "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी भी बात के होते हुए भी) प्रतिस्थापित किए जाने पर विचार किया जाएगा। यह विवाद सही है और इसे कायम रहना चाहिए। सामान्य खण्ड अधिनियम, 1897 का खण्ड 8(1) इस प्रकार है:-

"8(1) जहां यह अधिनियम, या इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद बनाया गया कोई केंद्रीय अधिनियम या विनियमन, पूर्व अधिनियमन के किसी भी प्रावधान को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के निरस्त और पुन: अधिनियमित करता है, तो किसी अन्य अधिनियम में या किसी भी उपकरण में संदर्भ इस प्रकार निरस्त किए गए प्रावधान को, जब तक कि कोई अलग इरादा प्रकट न हो, इस प्रकार पुनः अधिनियमित प्रावधानों के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा।

सामान्य धारा अधिनियम के इस खंड 8(1) के अनुसार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रारंभ होने के बाद, नियमों के नियम 184 में संदर्भ इस संहिता का होना चाहिए, न कि पुरानी संहिता का, जो कि है नई संहिता द्वारा निरस्त कर दिया गया है। इस संबंध में जगत सिंह बनाम गुरमिंदर सिंह और अन्य, (2) और न्यू सेंट्रल जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम सेंट्रल एक्साइज के सहायक कलेक्टर, (3) का संदर्भ लिया जा सकता है। इसलिए, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील के उपरोक्त तर्क में भी कोई दम नहीं है और खारिज कर दिया गया है।

(8) उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने तब तर्क दिया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 167 (2) के प्रावधान (ए) के अनुसार, कोई भी मजिस्ट्रेट साठ दिनों से अधिक की अवधि के लिए आरोपी व्यक्ति को हिरासत

में रखने का अधिकार नहीं दे सकता है। इस अवधि की समाप्ति पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा यदि वह जमानत देने के लिए तैयार है और देता है। यह परंतुक इस प्रकार है:-

"(ए) यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट है कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं, तो मजिस्ट्रेट आरोपी व्यक्ति को पुलिस की हिरासत के अलावा पंद्रह दिनों की अवधि से अधिक हिरासत में रखने की अनुमति दे सकता है, लेकिन कोई भी मजिस्ट्रेट हिरासत में वृद्धि नहीं करेगा। इस धारा के तहत आरोपी व्यक्ति साठ दिनों से अधिक की कुल अवधि के लिए हिरासत में है, और साठ दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति पर, आरोपी व्यक्ति को जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा यदि वह जमानत देने के लिए तैयार है और देता है, और प्रत्येक व्यक्ति को रिहा कर दिया जाएगा इस धारा के तहत जमानत पर उस अध्याय के प्रयोजनों के लिए अध्याय XXXIII के प्रावधानों के तहत रिहा किया गया माना जाएगा।

(9) बलदेव सिंह बनाम पंजाब राज्य में, (ए) इस न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा यह माना गया था कि धारा 167(2), आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधान के अनुसार, आरोपी द्वारा जमानत के लिए कोई आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि वह पहले से ही साठ दिनों की अवधि के लिए हिरासत में है और जमानत देने के लिए तैयार है, तो मजिस्ट्रेट स्वयं उसे जमानत पर रिहा करने के लिए बाध्य है। साठ दिनों की हिरासत की समाप्ति के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास आरोपी व्यक्ति की न्यायिक या पुलिस हिरासत देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

(10)सैशन जज, अम्बाला द्वारा पारित जमानत के आदेशों में इस प्रावधान का कोई उल्लेख नहीं है। उत्तरदाताओं के विद्वान वकील श्री एच.एल. सिब्बल ने तर्क दिया कि जमानत कानून के प्रावधानों के तहत सही ढंग से दी गई थी और इसलिए, इसे तब तक रद्द नहीं किया जा सकता जब तक कि यह आरोप न लगाया जाए और साबित न हो जाए कि आरोपी जांच में बाधा डाल सकता है या छेड़छाड़ कर सकता है। सबूतों के साथ या उसके किसी विदेशी देश में भाग जाने या भूमिगत हो जाने की संभावना है या वह पुलिस और अभियोजन पक्ष के गवाहों आदि के खिलाफ बदला लेने के लिए हिंसा का कार्य करेगा, जैसा कि द पब्लिक प्रॉसिक्यूटर बनाम जॉर्ज विलियम्स में निर्धारित किया गया है, (5). वर्तमान मामले में, सत्र न्यायाधीश के आदेशों से यह नहीं पता चलता है कि उत्तरदाताओं को धारा 167(2), आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधान (ए) के प्रावधानों के तहत जमानत पर रिहा किया गया था। आदेशों में केवल यह उल्लेख किया गया है कि भारत की रक्षा नियमों के नियम 184 के प्रावधान लागू नहीं हैं क्योंकि उक्त नियमों के खंड (बी) के तहत अधिसूचना प्रतिवादियों की गिरफ्तारी के बाद 8 जुलाई, 1975 को जारी की गई थी। हालाँकि, श्री सिब्बल ने तर्क दिया कि हरियाणा राज्य बनाम राजिंदर नाथ, (6) और हरियाणा राज्य बनाम मोहिंदर प्रकाश गुप्ता, (7) में आरोपियों को साठ दिनों से अधिक की हिरासत के बाद रिहा कर दिया गया था और इसलिए, उपर्युक्त पूर्ण पीठ मामले में निर्धारित कानून के अनुसार, उन्हें आपराधिक प्रक्रिया संहिता के नियम 167(2) के प्रावधान (ए) के तहत रिहा किया गया माना जाना चाहिए। हालाँकि, उन्होंने स्वीकार किया कि हरियाणा राज्य बनाम जगन नाथ और अन्य (8) में आपराधिक विविध मामले में, आरोपियों को साठ दिन की समाप्ति से पहले जमानत पर रिहा कर दिया गया था और परिणामस्वरूप यह प्रावधान इस मामले पर लागू नहीं होता है।

(11)भले ही यह मान लिया जाए कि दो मामलों आपराधिक विविध संख्या (6) (सुप्रा) और (7) (सुप्रा) में आरोपी को धारा 167(2) के प्रावधान (ए) के तहत जमानत पर रिहा किया गया माना जा सकता है, दंड प्रक्रिया संहिता के नियम 184 में निर्धारित शर्तों के अनुपालन के बाद भी यह गुण-दोष के आधार पर दी गई जमानत नहीं है। धारा 167(2) (सुप्रा) के इस प्रावधान (ए) में किसी व्यक्ति को साठ दिनों तक हिरासत में रहने पर हिरासत से रिहा करने का एक तकनीकी नियम शामिल है। इसलिए, यह नहीं माना जाएगा कि उन्हें योग्यता के आधार पर जमानत दी गई है। चालान दायर होने के बाद, राज्य को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 439(2) के तहत उच्च न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार मिल गया है कि आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है और हिरासत में लिया जा सकता है। यह अनुभाग इस प्रकार है:-

"(2) एक उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय निर्देश दे सकता है कि इस अध्याय के तहत जमानत पर रिहा किए गए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए और उसे हिरासत में भेजा जाए।"

जमानत देते समय, अदालत को अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखना होगा, उन परिस्थितियों को देखना होगा जो अभियुक्त के लिए विशिष्ट हैं और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका के अलावा जनता या राज्य के बड़े हित को भी देखना होगा। हालाँकि धारा 167(2) के प्रावधान के अनुसार, साठ दिनों की हिरासत के बाद एक आरोपी व्यक्ति को नई आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अध्याय XXXIII के प्रावधानों के तहत जमानत पर रिहा किया जाना है, लेकिन यह इस पर पारित आदेश नहीं है। मामले की खूबियां यानी कि क्या आरोपी जमानत पाने का हकदार है। यह प्रावधान (ए) हत्या के मामलों पर भी लागू होता है, जिनमें मौत या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। हत्या के किसी मामले में यदि चालान दाखिल नहीं किया गया है तो आरोपी की गिरफ्तारी के साठ दिन की अवधि समाप्त होने के बाद वह जमानत पर रिहा होने का हकदार है। लेकिन, इसका मतलब यह नहीं है कि चालान दाखिल होने के बाद आरोपी की जमानत रद्द नहीं की जा सकती, अगर वह अन्यथा योग्यता के आधार पर जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, वर्तमान मामलों में, उत्तरदाताओं को नियमों के नियम 184 में निर्धारित शर्तों का पालन करने के बाद योग्यता के आधार पर जमानत नहीं दी गई थी।

(12)ऊपर दिए गए कारणों से, मेरा यह मानना है कि यदि किसी व्यक्ति को साठ दिनों से अधिक समय तक हिरासत में रहने और चालान के कारण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के परंतुक (ए) के तहत जमानत पर रिहा किया गया है दायर नहीं किया गया है, तो चालान दाखिल होने के बाद अभियोजन पक्ष को यह अधिकार है कि वह ऐसे आरोपी की जमानत को इस आधार पर रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है कि मामले के गुण-दोष के आधार पर वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है। इसलिए, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील की उपरोक्त दलील खारिज की जाती है।

(13) अंत में, उत्तरदाताओं के वकील ने तर्क दिया कि इन मामलों में उत्तरदाताओं के खिलाफ लगाए गए आरोप नियमों के नियम 33(3) का कोई उल्लंघन नहीं दिखाते हैं और वे जमानत पर रिहा होने के हकदार हैं, भले ही नियम 184 का उल्लंघन हो। नियम, लागू माने जाते हैं। यह विवाद सही नहीं है. इन मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट और धारा 161, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत दिए गए गवाहों के बयानों को पढ़ने के बाद, इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वे उस नियम के उल्लंघन के दोषी नहीं हैं।

(14) ऊपर दिए गए कारणों से, इन तीनों याचिकाओं को अनुमति दी जाती है और उत्तरदाताओं को दी गई जमानत रद्द कर दी जाती है और उन्हें गिरफ्तार करने और हिरासत में भेजने का आदेश दिया जाता है। उत्तरदाताओं को अपने जमानत बांड में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया जाता है। हालाँकि, यह निर्देश दिया गया है कि उत्तरदाताओं के खिलाफ मामलों का निर्णय शीघ्र किया जाए।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

वीरेंद्र कुमार
प्रीक्षिशु न्यायिक अधिकारी
चंडीगढ़